



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी कासिम को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 06 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं आरोपी दिलशाद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में अभियुक्तों कासिम पुत्र अब्दुल्ला एवं दिलशाद पुत्र दास मोहम्मद उर्फ दौसा निवासीगण कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा नाबालिग का अपहरण करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 32/2019 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज पंचम जनपद बागपत द्वारा आरोपी कासिम को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 06 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं आरोपी दिलशाद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों कासिम एवं दिलशाद को धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी अरुण को हुई 02 वर्ष 06 माह के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अरुण पुत्र रामफल निवासी पट्टी गिरधरपुर कस्बा खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत के विरुद्ध थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 447/2015 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इन अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अरुण पुत्र रामफल को हुई 02 वर्ष 06 माह के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकड़ा

दिनांक 10-10-2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 वाहन चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 02 मोटरसाइकिल व 02 मो0सा0 के कटे हुए पार्टस तथा मोटर साइकिल को खोलने के उपकरण बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 02 मोटरसाइकिल व 02 मो0सा0 के कटे हुए पार्टस तथा मोटर साइकिल को खोलने के उपकरण बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इमरान पुत्र अख्तर निवासी ग्राम सालेनगर थाना जानी जनपद मेरठ करबा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोटरसाईकिल बजाज डिस्कवर नं0 DL-3SCA-2218
- 01 मोटरसाईकिल सीडी डीलक्स नं0 DL-6SAE-9488
- 01 मोटरसाईकिल अपाचे के कटे हुए पार्टस ।
- 01 मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैण्डर के कटे हुए पार्टस ।
- मोटर साइकिल को खोलने के उपकरण (02 रिंच, 06 पाना, 01 पेचकस, 01 हथौड़ा, 01 ब्लेड आरी, 01 काम्पैक्ट साकेट, 01 गोटी, 02 छोटी एल सेफ पिन आदि)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2.उ0नि0 यूटी श्री सुजीत कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3.है0का0 377 सुरेन्द्रपाल सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4.है0का0 497 राधेश्याम सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5.का0 915 विवेक कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 10.10.2024

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

विकास उर्फ मोना पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 194 तरुण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 948 पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।




प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी

दिनांक 10.10.2024

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 148/24 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित अपहृता को अथक प्रयास के बाद सकुशल किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 148/24 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनिल शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 2-म0का0 488 वर्षा थाना बालैनी जनपद बागपत ।